भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 802
04 दिसंबर, 2025 को उत्तर देने के लिए

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में स्टार्ट-अप

802. श्री के सुधाकरन:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में स्टार्ट-अप को प्रोत्साहन देने हेतु वर्तमान में उपलब्ध प्रमुख योजनाएं और वित्तीय सहायता का ब्यौरा है;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित स्र्टाट-अप और सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की योजना-वार और राज्य-वार संख्या कितनी है और केरल के लिए विशिष्ट आंकड़े क्या हैं;

(ग) इस अवधि के दौरान केरल के जिलों जैसे कन्नूर, कासरगोड और तिरूवनंतपुरम को आवंटन सहित सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम (पीएमएफएमई) योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई), प्राथमिकता क्षेत्र उधार और नावार्ड खाद्य प्रसंस्करण कोष के अंतर्गत स्वीकृत और जारी की गई कुल धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उद्यमिता, मूल्य संवर्धन और रोजगार सृजन में इन योजनाओं के प्रभाव पर कोई मूल्यांकन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र में स्टार्ट-अप को और सुदृढ़ करने हेतु केरल में ऋण पहुंच, इनक्यूबेशन समर्थन और प्रसंस्करण सुविधाओं का विस्तार करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) और (ख) : खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के समग्र विकास को बढ़ावा देने और इसे सुनिश्चित करने के लिए, केंद्रीय क्षेत्र की अपनी योजनाओं अर्थात प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) के ज़रिए इससे जुड़ी अवसंरचना की स्थापना/उन्नयन बढ़ावा दे रहा है। एमओएफपीआई प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना (पीईएमएफएमईई) नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना भी लागू कर रहा है। मंत्रालय इन योजनाओं के अंतर्गत स्टार्टअप्स समेत पत्र संस्थाओं को सब्सिडी/प्रोत्साहन प्रदान करता है।

एमओएफपीआई की इन योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाले प्रोत्साहन का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है और केरल समेत पूरे देश में इन तीन योजनाओं के अंतर्गत एमओएफपीआई द्वारा मंज़ूर की गई खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ग): पीएमकेएसवाई और पीएलआईएसएफपीआई के अंतर्गत धन का आवंटन राज्य/केंद्र शशित राज्य-वार नहीं किया जाता है । परंतु, वर्ष 2020-21 से पीएमकेएसवाई, पीएलआईएसएफपीआई और पीएमएफएमई के अंतर्गत कुल बजट आवंटन और धन का उपयोग और वर्ष 2020-21 से पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत केरल को केंद्र के हिस्से का विवरण **अनुबंध-III** में दिया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, केरल राज्य में प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण के लिए कुल संवितरण और बकाया का वर्ष-वार विवरण इस तरह है-

प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को ऋण - केरल राज्य (करोड़ रुपये में)		
	संवितरण	बकाया

मार्च 2020 तक	7254	5475
मार्च 2021 तक	5387	5029
मार्च 2022 तक	4691	4903
मार्च 2023 तक	4231	5286
मार्च 2024 तक	6361	6097
मार्च 2025 तक	3987	4886

क्लस्टर आधार पर संगठित क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने वर्ष 2014-15 के दौरान नाबार्ड में रु. 2000 करोड़ के कॉर्पस के साथ खाद्य प्रसंस्करण निधि (एफपीएफ) स्थापित की थी। इसका उद्देश्य एमओएफपीआई द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए नामित फूड पार्क बनाने और उनमें खाद्य प्रसंस्करण इकाई लगाने के लिए सस्ता ऋण देना है।

नाबार्ड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, केरल राज्य में पिछले 5 सालों में एफपीएफ के अंतर्गत कोई धन नहीं दिया गया है । वर्ष 2020-21 के दौरान, ईएसएएफ स्वश्रय मल्टी स्टेट एग्रो कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड को 10 करोड़ रुपये का सावधि ऋण दिया गया था, जिसे बाद में प्रमोटर ने वापस ले लिया।

(घ): पीएमकेएसवाई ने अपने लक्ष्य काफी हद तक प्राप्त कर लिए हैं और पीएमकेएसवाई की संबंधित योजनाओं के लिए किए गए मूल्यांकन अध्ययन से यह निष्कर्ष निकला है कि किसानों को सहायता प्रदत्त परियोजनाओं से काफी फायदा हुआ है। वर्ष 2020 में मेसर्स नाबार्ड कंसल्टेंसी लिमिटेड (नैबकोन्स) ने पीएमकेएसवाई के अंतर्गत एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य वर्धन अवसंरचना योजना का मूल्यांकन अध्ययन किया। इसमें अनुमान लगाया गया है कि योजना के अंतर्गत कैप्टिव प्रोजेक्ट्स से फार्म-गेट कीमतों में 12.38% की बढ़ोतरी हुई है और हर परियोजना से 9500 से ज़्यादा किसानों को फायदा होने का अनुमान है । वर्ष 2025 में मेसर्स क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने पीएमकेएसवाई के अंतर्गत कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर्स के लिए अवसंरचना के निर्माण की योजना का मूल्यांकन अध्ययन किया । इसमें अनुमान लगाया गया है कि अनुमोदित परियोजनाओं के चालू होने पर 2.5 लाख किसानों को फायदा होगा और 90,000 प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोज़गार सृजित होंगे। वर्ष 2025 में मेसर्स बीडीओ इंडिया एलएलपी ने पीएमकेएसवाई के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता बनाने/बढ़ाने का मूल्यांकन अध्ययन किया । इससे 1.87 लाख किसानों को फ़ायदा होने और अनुमोदित परियोजनाओं के चालू होने पर 2,23,919 प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोज़गार मिलने का अनुमान है।

वर्ष 2025 में मेसर्स बीडीओ इंडिया एलएलपी की पीएमएफएमई योजना के मूल्यांकन अध्ययन में बताया गया है कि यह योजना देश में खाद्य प्रसंस्करण में उद्यमिता, मूल्य संवर्धन औपचारिकीकरण , कम अपक्षय,निवेश और रोज़गार को सहायता करने में सफल रही है और सूक्ष्म खाद्य उद्यमियों के लिए बेहतर आजीविका और आय हासिल की है।

(ङ): तीनों योजनाएं क्षेत्र विशेष पर आधारित नहीं हैं, बल्कि मांग पर आधारित हैं और केरल समेत पूरे देश में लागू की गई हैं। मंत्रालय इन योजनाओं के अंतर्गत स्टार्टअप समेत पात्र संस्थाओं को सब्सिडी/प्रोत्साहन प्रदान करता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय देश भर में अपने दो स्वायत्त संस्थानों, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान, कुंडली, हरियाणा (निफ्टेम-के) और राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान, तंजावुर, तमिलनाडु (निफ्टेम-टी) के माध्यम से स्टार्टअप को सहायता भी प्रदान करता है। ये संस्थान इन स्टार्टअप को हैंडहोल्डिंग सहायता, सलाह, प्रशिक्षण, पायलट प्लांट, एनएबीएल-मान्यता प्राप्त खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं, इनक्यूबेशन सेवाएं, गुणवत्ता परीक्षण, अनुसंधान एवं विकास सहायता, नेटवर्किंग अवसर आदि जैसी सुविधाओं तक पहुंच भी प्रदान करते हैं।

*****

अनुबंध- I

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में स्टार्ट-अप्स के संबंध में दिनांक 4 दिसंबर , 2025 को उत्तर हेतु लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 802 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत मिलने वाल प्रोत्साहन

क्र. सं.	घटक योजना	सामान्य क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए योजना लाभ (अनुदान सहायता)	(अनुदान सहायता) दुर्गम क्षेत्रों के साथ-साथ एससी/एसटी, एफपीओ, एसएचजी की परियोजनाओं के लिए योजना के लाभ
1.	एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना	पात्र परियोजना लागत का 35% की दर से अनुदान सहायता [हर प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 करोड़ रुपये]	पात्र परियोजना लागत का 50% की दर से अनुदान सहायता [हर प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 करोड़ रुपये]
2.	खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता का सृजन/विस्तार	पात्र परियोजना लागत का 35% की दर से अनुदान सहायता [हर प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 5 करोड़ रुपये]	पात्र परियोजना लागत का 50% की दर से अनुदान सहायता [हर प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 5 करोड़ रुपये]
3.	कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टरों के लिए अवसंरचना	सामान्य क्षेत्र में पात्र परियोजना लागत का 35% की दर से अनुदान सहायता [हर प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 करोड़ रुपये]	पात्र परियोजना लागत का 50% की दर से अनुदान सहायता [हर प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 करोड़ रुपये तक]
4.	ऑपरेशन ग्रीन्स	एकीकृत शीत श्रृंखला विकास परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत का 35% की दर से अनुदान सहायता [हर प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अनुदान सहायता ₹15 करोड़ होगी; और स्टैंडअलोन फसलोत्तर अवसंरचना परियोजनाओं के लिए, हर प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अनुदान सहायता ₹10 करोड़ होगी।	एकीकृत शीत श्रृंखला विकास परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत का 50% की दर से अनुदान सहायता [हर प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अनुदान सहायता ₹15 करोड़ होगी; और स्टैंडअलोन फसलोत्तर अवसंरचना परियोजनाओं के लिए, हर प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अनुदान सहायता ₹10 करोड़ होगी।
5.	खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन-खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला	सरकारी संगठनों के लिए 100% अनुदान सहायता निजी संगठनों/संस्थाओं के लिए: पत्र परियोजना लागत के 50% की दर से अनुदान सहायता	प्राइवेट ऑर्गनाइज़ेशन/एंटिटी के लिए: एलिजिबल कॉस्ट का 70% अनुदान सहायता।
6.	मानव संसाधन एवं संस्थान-अनुसंधान एवं विकास	सरकारी संगठनों के लिए - उपकरण लागत, उपभोग्य सामग्रियों के 100% की दर से अनुदान सहायता , निजी संगठनों/ विश्वविद्यालयों /संस्थानों के लिए, उपकरणों की कीमत का 50% की दर से अनुदान।	सरकारी संगठनों के लिए - उपकरण लागत, उपभोग्य सामग्रियों के 100% की दर से अनुदान सहायता , निजी संगठनों/ विश्वविद्यालयों /संस्थानों के लिए, उपकरणों की कीमत का 70% की दर से अनुदान।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएस-एफपीआई) के अंतर्गत उपलब्ध प्रोत्साहन

i. योजना के श्रेणी-I, श्रेणी-II और मिलेट-आधारित उत्पाद घटक के अंतर्गत इंसेंटिव क्लेम करने के लिए लाभार्थी को वर्ष दर वर्ष कम से कम 10% की बिक्री वृद्धि हासिल करनी होगी। श्रेणी-I कंपोनेंट के

अंतर्गत, कंपनियों को अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध निवेश करना होगा। अगर कोई कंपनी वर्ष 2023-24 के आखिर तक प्रतिबद्ध निवेश नहीं करती है, तो वह योजना के अंतर्गत इंसेंटिव पाने के लिए पात्र नहीं है।

ii. श्रेणी-III, यानी ब्रांडिंग और मार्केटिंग घटक के अंतर्गत,कोई कंपनी विदेश में ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर किए गए खर्च का 50% फाइनेंशियल इंसेंटिव पाने के लिए पात्र है, जो खाद्य उत्पादों की बिक्री का अधिकतम 3% या हर वर्ष Rs 50 करोड़, जो भी कम हो सकता है। पांच वर्ष के समय में न्यूनतम खर्च रु. 5 करोड़ होना चाहिए।

पीएमएफएमईयोजना के अंतर्गत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को मिलने वाली सहायता का विवरण

(i) *व्यक्तिगत/समूह श्रेणी के सूक्ष्म उद्यमों को सहायता:* पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से ऋण-से जुड़ी पूंजी सब्सिडी, अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये प्रति इकाई;

(ii). प्रारम्भिक पूंजी *के लिए एसएचजी को सहायता:* फूड प्रोसेसिंग में लगे एसएचजी के हर सदस्य के लिए प्रारम्भिक पूंजी रु. 40,000/- की दर से , कार्यशील पूंजी और छोटे औज़ार खरीदने के लिए, हर एसएचजी फेडरेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाख रुपए।

(iii). सामान्य अवसंरचना के लिए सहायता *:एफपीओ,* एसएचजी, सहकारी समितियों और किसी भी सरकारी एजेंसी को सामान्य अवसंरचना बनाने में मदद करने के लिए 35% की ऋण-से जुड़ी पूंजी सब्सिडी, जो ज़्यादा से ज़्यादा रु. 3 करोड़ होगी। सामान्य अवसंरचना दूसरी इकाईयों और आम लोगों के लिए भी उपलब्ध होगा, ताकि वे क्षमता के बड़े हिस्से के लिए हायरिंग बेसिस पर इस्तेमाल कर सकें।

(iv) ब्रांडिंग *और विपणन सहायता:* एफपीओ/एसएचजी/सहकारिता समूहों या सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के एसपीवी को ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए 50% तक अनुदान।

(v) *क्षमता निर्माण:* इस योजना में उद्यमिता विकास कौशल (ईडीपी+) के लिए प्रशिक्षण देने की योजना है: इस प्रोग्राम को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और उत्पाद विशिष्ट कौशल की ज़रूरत को पूरा करने के लिए संशोधित किया गया है।

*****

अनुबंध- II

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में स्टार्ट-अप्स के संबंध में दिनांक 4 दिसंबर , 2025 को उत्तर हेतु लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 802 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

योजना की शुरुआत से लेकर अब तक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की पीएमकेएसवाई, पीएलआईएसएफपीआई और पीएमएफएमई योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	पीएमकेएसवाई के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	पीएमएफएमई के अंतर्गत स्वीकृत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की संख्या	पीएलआईएसएफपीआई के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर अनुमोदित आवेदनों की संख्या
1.	अंदमान और निकोबार	2	18	0
2.	आंध्र प्रदेश	76	8087	38
3.	अरुणाचल प्रदेश	12	136	0
4.	असम	102	4600	4
5.	बिहार	15	27723	7
6.	चंडीगढ़	0	5	0
7.	छत्तीसगढ	10	1280	1
8.	दादर और नगर हवेली और दमन और दीव	1	12	0
9.	दिल्ली	22	363	0
10.	गोवा	2	137	1
11.	गुजरात	109	1010	32
12.	हरियाणा	99	1633	9
13.	हिमाचल प्रदेश	44	2537	4
14.	जम्मू और कश्मीर	41	1938	2
15.	झारखंड	2	4250	2
16.	कर्नाटक	98	7724	21
17.	केरल	54	7937	10
18.	लद्दाख	0	90	0
19.	लक्षद्वीप	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	51	11944	10
21.	महाराष्ट्र	244	26172	41
22.	मणिपुर	8	308	0
23.	मेघालय	10	227	0
24.	मिजोरम	4	56	0
25.	नागालैंड	4	429	0
26.	ओडिशा	30	2732	5
27.	पुडुचेरी	2	192	0
28.	पंजाब	76	3021	9
29.	राजस्थान	55	1351	6
30.	सिक्किम	1	65	0
31.	तमिलनाडु	156	17210	20
32.	तेलंगाना	67	7266	13
33.	त्रिपुरा	9	248	0
34.	उत्तर प्रदेश	99	1037	27
35.	उत्तराखंड	59	20575	7
36.	पश्चिम बंगाल	55	431	9

अनुबंध- III

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में स्टार्ट-अप्स के संबंध में दिनांक 4 दिसंबर , 2025 को उत्तर हेतु लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 802 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की पीएमकेएसवाई, पीएलआईएसएफपीआई और पीएमएफएमई योजनाओं में आवंटित और उपयोग किए गए धन का विवरण

(करोड़ रुपये में)

योजना	वर्ष 2020-21		वर्ष 2021-22		वर्ष 2022-23		वर्ष 2023-24		वर्ष 2024-25	
	सं.अ.	वा.व्य.	सं.अ	वा.व्य.	सं.अ	वा.व्य.	सं.अ	वा.व्य.	सं.अ	वा.व्य.
पीएमकेएसवाई	750.00	667.05	791	713.49	673.00	561.92	745	666.20	सं.अ	540.12
पीएलआईएसएफपीआई	योजना 2021-22 में शुरू हुई		10	9.27	801	489.83	1150	590.50	700	450.49
पीएमएफएमई	400	394.59	399	326.46	290	274.76	800	778.84	1200	1023.10

आरई—संशोधित अनुमान, एई .- वास्तविक व्यय

वर्ष 2020-21 से पीएमएफएमईयोजना के अंतर्गत केरल को जारी धन

(करोड़ रुपये में)

राज्य	वर्ष 2020-21	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24	वर्ष 2024-25
केरल	10.13	3.46	3.98	29.52	31.27

*****